贫毒

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक

WEEKLY

No. 48] NEW DELHI, DECEMBER 6—DECEMBER 12, 2015, SATURDAY/ AGRAHAYANA 15—AGRAHAYANA 21, 1937

इस भाग में भिन पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 229.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना (हिंदी प्राध्यापक) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के मिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के हिंदी शिक्षण योजना में हिंदी प्राध्यापक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना, हिंदी प्राध्यापक (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(1687)

4944GI/2015

- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमात. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवितन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुस्चित जातियों, अनुस्चित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

•					जनुष्रुचा		
पद व नाम	ا سا	वर्गी- करण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतन- मान।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1) हिंदी प्राध्या	*158	(3) साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजप त्रित, अननु- सचि-	(4) वेतन बैंड- 2, 9300- 34800 रु. ₁ग्रेड वेतन 4800 ₹	(5) लागू नहीं होता	(6) 30 वर्ष से अनिधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में	(7) आवश्यक अर्हताः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ हिंदी में बैचलर डिग्री + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में मास्टर्स	(8) लागू नहीं होता

16 g

डिग्री + किसी मान्यता प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त वीय। सकता विश्वविद्यालय या संस्थान से करने के लिए नियत की गई है). शिक्षा में बैचलर अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो यां असम,मेघालय, अरूणाचल किसी मान्यता प्राप्त प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, विश्वविद्यालय या संस्थान से नागालैंड, त्रिपुरा,सित्रिकम, बैचलर डिग्री + किसी जम्म-कश्मीर राज्य के लद्दाख मान्यता प्राप्त खंड, हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर एक विषय लाहोल और स्पीति जिले अनिवार्य तथा चम्बा-जिले के पांगी **अंग्रेजी** वैकल्पिक विषय के साथ उपखंड. अंदमान हिंदी में मास्टर्स डिग्री + निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के किसी मान्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए विहित विश्वविद्यालय या संस्थान से की गई है।) शिक्षा में बैचलर। बांछनीय: केंद्रीय या राज्य सरकार या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के अधीन सीनियर सेकेण्डरी स्तर पर हिंदी शिक्षण का दो वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1 :--अईताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिश्रिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या प्राधिकारी सक्षम अनुसूचित विवेकानुसार जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

अवित, विदे की दी या प्रतिनिश्वित या आनंतन द्वारा गर्गी इसकी ग्रंतवना विद्वारा या प्रतिनिश्वित विद्वारा या प्रतिनिश्वित विद्वारा या प्रतिनिश्वित या आनंतन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों की प्रतिनिश्वित या आनंतन वारा तथा प्रतिनिश्वित या आनंतन वारा तथा प्रतिनश्वित या आनंतन वारा तथा प्रतिनश्वित या आनंतन वारा तथा प्रतिनश्वित या आनंतन वारा तथा वार्च नहीं होता वार्च		······································			-4
अविधि , बिर सीचे होनी या प्रोन्नित या आनेवन द्वारा भर्मी होने की विषयों के वेणियां या आनेवन प्रवाद कर्या जिससे प्रोन्नित या जिससे प्रोन्नित वा जिससे प्रान्नित वा जिससे वा जिससे प्रान्नित वा जिससे प्रान्नित वा जिससे प्रान्नित वा जिससे वा जिससे वा जिससे प्रान्नित वा जिससे वा जितसे वा जिससे वा	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति: भर्ती	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो,	भर्ती करने में किन .
बाद बा प्रतिनिद्धित की क्या में वे विश्वित वा आपेनल द्वारा तथा जिन्न प्रतिवी प्रतिनिद्धित वा आपेनल द्वारा तथा जिन्न क्या प्रतिवी किया जाएगा विकित्त प्रतिवी किया जाएगा विकित्त किया जायगे द्वारा सींधी भर्ती द्वारा सींधी किया साम किया किया किया किया किया किया किया किया	अवधि, यदि	सीधे होगी या प्रोन्नति	या आमेलन द्वारा भर्ती	 असकी संरचना	!
विभिन्न पद्धियों प्रतिविश्वित या आमेलन ह्यारा मरी जाने वाली किया जाएगा निक्यों की प्रतिश्वता जिल्ला कार्या क्षिण जाने वाली किया जाएगा निक्यों की प्रतिश्वता जाने कार्या निक्यों की प्रतिश्वता जाने कार्या निक्यों की प्रतिश्वता जाने हों होता प्रतिविश्व के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निवितित होंगें : संभ्वता किए ये वर्ष । अपने अपने वर्ष से प्रतिश्वती वर्ष में किया करने के लिए) जिसमें निम्निवितित होंगें : संस्कृत सिविव (राजभाषा) - अध्यय प्रतिश्वतिश्विती या जिल्ली जिल्ली जा जिल्ली जिल्ली जा जिल्ली जिल्ली जा जिल्ली	1 1	द्वारा या प्रतिनियुक्ति	की दशा में वे श्रेणियां		सेवा आयोग से परामर्श
हारा मरी जाने वाली किया जाएगा िरिनेतवाँ की प्रतिशतता (9) (10) (11) (12) (13) सींध मुर्ती किए चयन आयोग द्वारा स्वानियाँ के संबंध में विचार करते के लिए) जिसमें तिए दो वर्ष। हिप्पण:-(i) पदधारी के प्रतिनिद्वित होने: - संयुक्त सिव्य (राजभाषा) - अध्यक्ष राजभावा विभाग निदेशक - सदस्य राजभावा विभाग निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य राजभावा विभाग निदेशक, केंद्रीय रिक्ति आप से अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ में से प्रतिनिद्वित के आक्षार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) पूल काईर या विभाग में नियमित आगार पर त्वश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने पूल काडर या विभाग में वेतनवेंड -2, 9300- 34800 र + ग्रेड	"				किया जाएगा
(9) (10) (11) (12) (13) सिंध मृती किए आने वाले व्यवित्यों के लिए दो वर्ष । वित्याप: - (i) पदघारी के प्रतिनिश्चित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुटी या िन्हीं कार्य परिश्वितयों में एक वर्ष या इससे अधिक अध्यय संत्रा के लिए बोहर रहने के कारण हुई रिनित्या के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) पूल काडँर या विभाग में निविधित आधार पर सबुश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने पूल काडर या विभाग में निविधित आधार पर सबुश पद धारण किए हुए हैं; या (iii) जिन्होंने पूल काडर या विभाग में नेविधित आधार पर सबुश पद धारण किए हुए हैं; या (iii) जिन्होंने पूल काडर या विभाग में नेविधित आधार पर सबुश पद धारण किए हुए हैं; या (iii) जिन्होंने पूल काडर या विभाग में नेविधित आधार पर सबुश पद धारण किए हुए हैं; या (iii) जिन्होंने पूल काडर या विभाग में नेविधित आधार पर सबुश पद धारण किए हुए हैं; या (iii) जिन्होंने पूल काडर या विभाग में		विभिन्त पद्धतियों	प्रतिनियुक्ति या आमेलन	·.	
(9) (10) (11) (12) (13) सीध प्रती किए वाज कर्मचारी वाजू नहीं होता वाज वाज वाज वाज वाज वाज वाज वाज वाज वा		द्वारा भरी जाने वाली	किया जाएगा		
(10) (11) (12) (13) सीध पृती किए जाने वाले चयन आयोग द्वारा स्वितीयों के लिए दो वर्ष। टिप्पण :- (i) पदधारी के प्रतिनियुक्ति या संबी बीमारी या अध्ययन खुटी या किन्हीं अन्य परिस्थितयों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्निलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा संकेंगी। (क) (i) मूल काङर या विभाग में निवित्त आधार पर रावृश पद धारण किए हुए हैं था (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनवैंड -2, 9300- 34800 १ + ग्रेड		रिक्तियों की			
सिंध पूर्ती किए जाने वाले ज्यान सारा स्वारा समुह 'ख' किमाणीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें परामर्थ करना आयोग से परामर्थ करना आयोग से सिंधी भर्ती द्वारा सिंधी भर्ती त्वारा सिंधी या अध्यक्ष राजभाषा विभाग निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य राजभाषा विभाग निदेशक, केंद्रीय सिंधी के सिंधी के सिंधी के सिंधी के सिंधी सिंधी सिंधी के सिंधी के सिंधी सिंधी सिंधी के सिंधी सिंधी सिंधी के सिंधी सिंधी सिंधी के सिंधी		प्रतिशतता			•
सिंध पूर्ती किए जाने वाले ज्यान सारा स्वारा समुह 'ख' किमाणीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें परामर्थ करना आयोग से परामर्थ करना आयोग से सिंधी भर्ती द्वारा सिंधी भर्ती त्वारा सिंधी या अध्यक्ष राजभाषा विभाग निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य राजभाषा विभाग निदेशक, केंद्रीय सिंधी के सिंधी के सिंधी के सिंधी के सिंधी सिंधी सिंधी के सिंधी के सिंधी सिंधी सिंधी के सिंधी सिंधी सिंधी के सिंधी सिंधी सिंधी के सिंधी	200				
सिंध पूर्ती किए जाने वाले ज्यान सारा स्वारा समुह 'ख' किमाणीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें परामर्थ करना आयोग से परामर्थ करना आयोग से सिंधी भर्ती द्वारा सिंधी भर्ती त्वारा सिंधी या अध्यक्ष राजभाषा विभाग निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य राजभाषा विभाग निदेशक, केंद्रीय सिंधी के सिंधी के सिंधी के सिंधी के सिंधी सिंधी सिंधी के सिंधी के सिंधी सिंधी सिंधी के सिंधी सिंधी सिंधी के सिंधी सिंधी सिंधी के सिंधी					
जाने बाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । स्थान आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा सीधी भर्ती द्वारा सीधी भर्ती द्वारा सिम्मिलिखित होगें - संसुकृत सिम्मिव (राजभाषा) - अध्यक्ष राजभाषा विभाग निदेशक - सदस्य राजभाषा विभाग निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्था	(9)	(10)		(12)	i .]
वार व्यन आवाग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा कि सबध भ विचार करने के लिए। जिसमें नहीं है। हिप्पण :- (i) पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविधे के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों में एक वर्ष या इससे अधिक अधिक अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काईर या विभाग में नियमित आधार पर सद्या विभाग में नियमित आधार पर सद्या विभाग में नियमित आधार पर सद्या विभाग में वितन्वैंड -2, 9300-34800 र + ग्रेड	सीधे भर्ती किए	100% कर्मचारी	लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि	
ज्यवित्यों के लिए दो वर्ष। हिप्पण:- (i) पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्यक्ष राजभाषा विभाग निदेशक, केंद्रीय राजभाषा विभाग निदेशक, केंद्रीय किली अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिस्तयों के प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल कार्डर या विभाग में नियमित आधार पर सद्दश्य प्राप्ति विधार पर सद्दश्य प्राप्ति विधार पर सद्दश्य विभाग में नियमित आधार पर सद्दश्य प्राप्ति किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने मूल काइर या विभाग में वेतनवैंड -2, 9300-34800 र + ग्रेड	जाने वाले	चयन आयोग द्वारा		के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	1
तिए दो वर्ष । हित्यण :- (i) पदधारी के प्रतिनियुक्ति या तंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किल्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तयां केंद्रीय सरकार के निम्निलीखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्तित के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काईर या विभाग में नियमित आधार पर सद्दश्य पद होने किए खाहर एह होने होने होने होने होने होने होने होन	व्यक्तियों के				नहाहा
टिप्पण :- (i) पदधारी के प्रतिनिवृक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्मलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काङर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 १ + ग्रेड	लिए दी वर्ष ।				
टिप्पण:- (i) पदश्चारी के प्रतिनियुक्ति या जंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नालिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडँर या विभाग में निविभित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनवैंड -2, 9300- 34800 र + ग्रेड	d d			•,	
के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुटी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविधि के लिए बाहर रहेते के कारण हुई रिनिता के के निम्निलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सबुश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300-34800 १ + ग्रेड		<u> </u>		,	
संबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किल्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिनिता केंद्रीय सरकार के निम्निलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सद्श पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 ₹ + ग्रेड		1		राजभाषा विभाग निदेशक, केंद्रीय	
लवा बोमारा या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिनितयां केंद्रीय सरकार के निम्निलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आक्षार पर भरी जा सकेंगी। (क) (1) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनवैंड -2, 9300-34800 र + ग्रेड				हिंदी प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य	
किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविश्व के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंग्रीय सरकार के निम्निलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सद्श पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 र + ग्रेड	. i	I .			
परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्निलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडँर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 १ + ग्रेड					
वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित अधार पर सद्श पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 १ + ग्रेड					
अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 १ + ग्रेड					
रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्निलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आक्षार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडँर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 ₹ + ग्रेड	:		1	•	
रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्निलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनवैंड -2, 9300- 34800 १ + ग्रेड	:	1 '	·		
सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडेंर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300-34800 ₹ + ग्रेड		1 3			, a
निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 ₹ + ग्रेड		1	1		
अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300-		1]
प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडँर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300-	ļ į				
आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडेंर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 ₹ + ग्रेड			!		·
सकेंगी। (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 ₹ + ग्रेड		1			
(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 ₹ + ग्रेड			i		
काडँर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 ₹ + ग्रेड	i.				
नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 ₹ + ग्रेड		(क) (i) मूल	r ∴ .		1
सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 ₹ + ग्रेड		काडर या विभाग मे	†		
हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 ₹ + ग्रेड		1 *			
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 ₹ + ग्रेड		, -			
काडर या विभाग में वेतनबैंड -2, 9300- 34800 ₹ + ग्रेड		हुए हैं; या			
वेतनबैंड -2, 9300- 34800 ₹ + ग्रेड		(ii) जिन्होंने मूर	र		
34800 ₹ + ग्रेड		काडर या विभाग	Ť		
34800 ₹ + ग्रेड		वितनबैंड -2, 9300	-	İ	
	:			·	
। वितन 4600 र म। ।	- <u>-</u>	वेतन 4600 ₹			!
नियमित आधार पर	:				
नियुक्ति के पश्चात			•		
उस श्रेणी में दो वर्ष					
की सेवा की हो।	i				·

j			<u> </u>				 	
		(ख) जो स्तंभ (7) के						
- '		अधीन विहित शैक्षिक						·
		अर्हताएं और अनुभव						
į .		धारण किए हुए हैं।				-		
		(प्रतिनियुक्ति की						
		अवधि, जिसके					*	
	•	अंतर्गत केंद्रीय सरकार						
		के उसी या किसी अन्य		1			:	
		संगठन/विभाग में इस						
,		नियुक्ति से ठीक पहले						
;		धारित किसी अन्य			•			
;		काडर बाह्यपद पर	•					
		प्रतिनियुक्ति की	•	.				
		अवधि है			•			
. :		साधारणतया 3 वर्ष से		ľ				
		अधिक नहीं होगी ।	•	1	-		•	
' ;		प्रतिनियुक्ति पर						-
1		नियुक्ति (जिसके		1				
		अंतर्गत अल्पकालिक		-		-		- "
		संविदा भी हैं) के लिए						
1		अधिकतम आयु सीमा						
į .		आवेदन प्राप्त करने		.]				
		की अंतिम तारीख को						
		56 वर्ष से अधिक नहीं						
		होगी ।)		.				
<u></u>					··		 <u> </u>	·

[फ़ा.सं.14034/35/2009-राभा (प्रशि.)]

मंजुला सक्सैना, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 8th December, 2015

- G.S.R. 229.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Hindi Teaching Scheme (Hindi Pradhyapak) Recruitment Rules, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Pradhyapak in the Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Hindi Teaching Scheme, Hindi Pradhyapak (Group "B") Recruitment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the	Number of	Classification.	Pay band	Whether	Age limit for direct	Educational and other
post.	posts.		and grade.	selection post	recruits.	qualification required
F	_		pay or pay	or non-		for direct recruits.
			scale.	selection post .	(6)	(7)
(1) (2)		(3)	(4)	(5)	Not exceeding 30	Essential:
Hindi	*158	General Central	Pay Band- 2, 19300-	Not applicable	years.	(i) Bachelor's degree
Pradhyapak	(2015)	Service, Group	2, 19300- 34800 with		years.	in Hindi with English
	*Subject to	'B' Non- Gazetted, Non-	grade pay		(Relaxable for	as one of the subject at
*	variation dependent	Ministerial.	of ₹4800		Government	degree level either as
	on work	Willistoffer.	1 01 0 4000		Servants up to five	compulsory or optional
	load.		•		years in accordance	from a recognized
	, tour,	1			with the instructions	University or Institute
	1			ļ	or orders issued by	plus Master's degree in
			[the Central	any subject from a
			Į.		Government).	recognized University
						or Institute plus
					Note 1: The crucial date for determining	Bachelor of Education from a recognized
					the age limit shall be	University/Institute.
					the closing date for	OR OR
					receipts of	Bachelor's degree in
					applications from	any subject from a
	1				candidates in India	recognized University
			ļ		(and not the closing	or Institute plus
				·	date prescribed for	Master's degree in
		i			those in Assam,	Hindi with English as
•	1	1	ĺ		Meghalaya,	one of the subjects at
	-		.]		Arunachal Pradesh,	degree level either as
	1				Mizoram, Manipur,	compulsory or optional from a recognized
					Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh	University or Institute
•		,	1		Sikkim, Ladakh Division of Jammu	plus Bachelor of
•					and Kashmir State,	Education from a
					Lahaul and Spiti	recognized
,			1		District and Pangi	University/Institute.
					Sub-Division of	· ·
					Chamba District of	
•			Į		Himachal Pradesh,	Desirable:
			1		Union territories of	
-] .		Andaman and Nicobar	Carrier On son dame losses
		1	.		Islands or	under Central or State
				•	Lakshadweep).	Governments o
	1		1.			recognized educationa
	1			1		Institution.
						· .
						Note 1: Qualification
		ļ]		are relaxable at th
	1		·		1	discretion of the Stat
				İ		Selection Commission
	1.	1 '				or competent authorit

			for reasons to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified.
			Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission
			or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the
			Schedule Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the commission that
	:		is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience
			are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in
will apply in the case of promotees.		percentage of the vacancies to be filled by various methods.			making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years	100% by direct	Not applicable.	Group 'B' Departmental	Consultation with Union
applicable	for direct	recruitment		Confirmation	Public Service
	recruits.	through Staff Selection		Committee (for	Commission
		Commission.		considering	not necessary.
		Note: Vacancies		confirmation)	
		caused by the		consisting of:-	
		incumbent being away on		1. Jt. Secretary Official	
	1	away on deputation or long		Language),	-
		illness or study	1	Department	
		leave or under		of Official	
]	1	other		Language.	
		circumstances for	1	– Chairman,	
		duration of one		2. Director,	1
1:		year or more may		Department	
		be filled on	· .	of Official	
	,	deputation basis		Language.	
!	·	from the officers	,	- Member, 3. Director,	
		of the Central		S. Director, Central	
		Government.		Hindi Training	1
1	·	(a)(i) holding	<u> </u>	1 Titure Transmig	<u> </u>

年节

₹ B

Institute. analogous on regular basis in Member. the parent Cadre or Department; or with two (ii) year's service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2; ₹ 9300-34800 plus grade 4600₹ or pay equivalent in the parent cadre or Department and possessing educational qualifications and experience prescribed for recruits direct under column (7). (Period deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately this preceding appointment in the same or some other organization or Department of Central Government shall ordinarily not to exceed years. (The maximum limit age appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of

[F. No. 14034/35/2009-OL (Training)]
MANJULA SAXENA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015

सा. का. नि. 230.— राष्ट्रपति, साँवेधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशस्त्र सीमा बल (पैरा–मेडिक कर्मधारीबृंद) अयोधक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है ; अर्थात्ः—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल (पैरा-मेडिक कर्मचारीवृद) अयोधक समूह 'ग' पद के मर्ती (संशोधन) नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

applications)

2. सशस्त्र सीमा बल (पैरा-मैडिक कर्मचारीवृद) अयोधक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011, की अनुसूची में,-